

नागरिक चार्टर

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, जनकपुरी, नई दिल्ली के नागरिकों/ग्राहकों का चार्टर



<http://www.ccimindia.org/>

जनवरी 2017

प्रस्तावना

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, अधिनियम, 1970 के अधीन भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना असाधारण भाग-II धारा 3 (II) दिनांक 10.08.1971 के अधीन गठित एक सांविधिक निकाय है।

स्थापना वर्ष 1971 से ही केन्द्रीय परिषद् स्नातकीय और स्नातकोत्तर स्तरों पर भारतीय चिकित्सा पद्धति में यथा आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी की पाठ्यविधि एवं पाठ्य विवरण सहित विभिन्न विनियमों को बनाती एवं लागू करती रही है। राजपत्र अधिसूचना संख्या 2345 दिनांक 16.12.2011 के अनुसार वर्ष 2012 से सोवा रिग्पा चिकित्सा पद्धति भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् में सम्मिलित की गई है। अब भारतीय चिकित्सा पद्धति के समस्त महाविद्यालय देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध है। ये महाविद्यालय केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित शिक्षा के न्यूनतम स्तर तथा पाठ्यविधि तथा पाठ्य-विवरण का अनुसरण कर रहे हैं।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के मुख्य प्रयोजन निम्नवत् हैं :-

- भारतीय चिकित्सा पद्धति यथा आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब तथा सोवा रिग्पा में शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करना ।
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में/से चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता के समावेश/से मान्यता को वापस लिए जाने से सम्बन्धित मामलों पर केन्द्रीय सरकार को अनुशंसा भेजना।
- भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का रख-रखाव करना और समय-समय पर उसे परिशोधित करना ।
- भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यासियों द्वारा अनुपालन करने के लिए आचरण एवं शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानक विहित करना ।
- भारतीय चिकित्सा पद्धति के नये महाविद्यालय स्थापित करने, स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता बढ़ाने एवं नये अथवा स्नातकोत्तर अतिरिक्त विषयों को प्रारम्भ करने हेतु विभिन्न संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करना व भारत सरकार को अनुशंसाएं भेजना ।

संदृश्य

परिषद् का संदृश्य है एक सर्वोत्कृष्ट नियन्त्रक निकाय बनना जो वैश्विक प्रवृत्ति हेतु राष्ट्रीय आवश्यकता को समझते हुए शिक्षा में मार्गदर्शन करे, विकास लाए तथा उत्कृष्टता की संस्था के नेटवर्क को बनाए रखे। साथ ही साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा अभ्यास को नियंत्रित करे।

मिशन

राष्ट्रीय एवं विश्व स्तर पर आवश्यकता के अनुरूप भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्साभ्यास तथा शैक्षणिक अध्ययन कार्यक्रमों के स्तर एवं गुणवत्ता को बनाए रखने की वचनबद्धता के साथ उपलब्ध संसाधनों के आबंटन, अच्छे अभिशासन व प्रबन्धन के माध्यम से इन पद्धतियों की स्थापना, मार्ग निर्देशन, उन्नति को बरकरार रखना है।

उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं का विवरण

क्रम संख्या	सेवाएं	उत्तरदायी व्यक्ति	प्रक्रियाएं	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क	अधिकतम समय सीमा	भार (%)	सफलता का संकेतक
1.	नए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी व सोवा रिग्पा महाविद्यालयों की स्थापना/ पाठ्यक्रमों/प्रवेश क्षमता में वृद्धि (13क) हेतु अनुशंसा	सहायक निबन्धक (आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी) 011-28525464 स.नि.(आयुर्वेद) arayurveda@ccimindia.org स.नि.(सिद्ध) arsiddha@ccimindia.org स.नि.(यूनानी) arunani@ccimindia.org	1.भारत सरकार आवेदन शुल्क/दस्तावेजों सहित योजना अग्रेषित करती है। 2.यदि मानदंड पूरे हो गए हों, तो महाविद्यालय का परिदर्शन 3.परिदर्शन प्रतिवेदन का मूल्यांकन किया जाता है। 4.भारत सरकार को अनुशंसाओं का अग्रेषण *यदि कोई मानदंड पूरा नहीं है/प्रस्ताव अधूरा है, तो योजना भारत सरकार को वापस भेज दी जाएगी। [परिदर्शन सी.सी.आई.एम. की अनुशंसा-भारत सरकार से आशय पत्र- सी.सी.आई.एम. द्वारा अनुमति पत्र परिदर्शन- भारत सरकार को सी.सी.आई.एम. की अनुशंसा - भारत सरकार द्वारा अनुमति]	महाविद्यालय की स्थापना हेतु: प्रपत्र-1/आवेदन शुल्क अर्थात् रु.3.5 लाख/ प्रपत्र 4 में अनापत्ति प्रमाणपत्र/सम्बद्धता की सहमति/वार्षिक अभिलेख एवं तुलन पत्र/भूमि सम्बन्धी दस्तावेज/आयुर्वेद शिक्षा प्रदान करने हेतु लक्ष्य/ न्यूनतम मानक अपेक्षाएं, 2012 एवं 2013 में निर्धारित अन्य दस्तावेज । नए अथवा अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रम का प्रारम्भ: प्रपत्र 2/अतिरिक्त संसाधनों हेतु दस्तावेजी साक्ष्य/बैंक गारंटी सहमति/ 5.5 वर्ष (स्नातकीय) पूर्ण करने हेतु दस्तावेजी प्रमाण + उपर्युक्त कॉलम में अन्य समस्त दस्तावेज ।	रु.3.5 लाख (सी.सी.आई.एम. के पक्ष में देय डी.डी.के माध्यम से) रु.2 लाख (सी.सी.आई.एम. के पक्ष में देय डी.डी.के माध्यम से)	आशय- पत्र एवं अनुमति पत्र प्रत्येक हेतु 90 दिन आशय पत्र हेतु 31 मई- 31 अगस्त अनुमति पत्र हेतु 30 नवम्बर-28 फरवरी	30	भारत सरकार को अनुशंसा पत्र जारी करने हेतु प्रस्ताव की प्राप्ति की तिथि से लिया गया समय। भारत सरकार को अनुशंसा पत्र जारी करने हेतु प्रस्ताव की प्राप्ति की तिथि से लिया गया समय।

				स्नातकीय / स्नातकोत्तर में प्रवेश क्षमता में वृद्धि: प्रपत्र-3 / शुल्क+ उपर्युक्त कॉलम में विनिर्दिष्ट अन्य सभी दस्तावेज।	रु.2 लाख (सी.सी.आई. एम. के पक्ष में देय डी.डी. के माध्यम से)			भारत सरकार को अनुशंसा पत्र जारी करने हेतु प्रस्ताव की प्राप्ति की तिथि से लिया गया समय।
2.	वर्तमान आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी व सोवा रिग्पा महाविद्यालयों (13ग) हेतु अनुशंसा	1.परिदर्शन किया जाता है। 2.परिदर्शन प्रतिवेदन का निर्धारण किया जाता है। 3.भारत सरकार को अनुशंसा अग्रेषित की जाती है।	अनुपालन प्रतिवेदन	रु.1.00लाख विजिटेशन / रेगुलेटरी रु.0.30लाख डिजिलाईजेशन रु.0.25लाख स्नातकोत्तर प्रति विषय	3 माह	10	परिदर्शन करने से भारत सरकार को अनुशंसा भेजने तक लिया गया समय।	
3.	द्वितीय अनुसूची अनुशंसा [आई.एम.सी.सी.एक्ट की द्वितीय अनुसूची में अर्हताओं का समावेश]	1.विश्वविद्यालय का अनुरोध भारत सरकार द्वारा सी.सी.आई.एम. को अग्रेषित किया जाता है। 2.अर्हताओं का सत्यापन किया जाता है। 3.मान्यता प्राप्त अर्हताओं के समावेश हेतु भारत	निदर्शन पत्र / पाठ्य विवरण (यू.जी./एम.डी./एम.एस.) / उपाधि नमूना / समस्त उत्तीर्ण छात्रों की सूची / छात्रों का प्रवेश करने हेतु महाविद्यालय का अनुमति पत्र।	लागू नहीं	उचित समय	15	प्रस्ताव प्राप्त होने से भारत सरकार को अधिसूचना का प्रारूप भेजने तक लिया गया समय।	

			सरकार को अधिसूचना का प्रारूप अग्रेषित किया जाता है।					
4.	आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं सोवार्गिपा महाविद्यालयों में शिक्षकों को कूट का आबंटन		1. प्रपत्रों की प्राप्ति। 2. कूट का आबंटन।	शिक्षक एवं प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित संकाय डाटा-बेस/स्नातकीय-स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्र/पंजीयन प्रमाण-पत्र/नियुक्ति-कार्यभार	लागू नहीं	न्यूनतम 07 दिन (पूर्ण दस्तावेजों के प्राप्त होने की शर्त पर) कोई	8	प्रपत्र प्राप्त होने से कूट के आबंटन तक लिया गया समय।
				ग्रहण करने, पूर्वानुभव तथा कार्यमुक्त होने सम्बन्धी दस्तावेज/अनापत्ति प्रमाण पत्र/सी.सी.आई.एम. के एक्सेल फार्मेट में शिक्षण स्टाफ का विवरण।		विनिर्दिष्ट समय नहीं है।		
5.	आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं सोवार्गिपा महाविद्यालयों में शिक्षकों की पात्रता विनिश्चित करना		1. अभिलेख से दस्तावेजों का सत्यापन एवं पात्रता का विनिश्चय किया जाता है। 2. संदेह के मामलों में दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किया जाता है। 3. सुनवाई का संयोजन किया जाता है तथा पात्रता विनिश्चित की जाती है।	पंजीयन प्रमाणपत्र/स्नातकीय-स्नातकोत्तर में कार्यभार ग्रहण करने अथवा कार्यमुक्त होने सम्बन्धी अनुभव प्रमाणपत्र/शपथपत्र पर कालक्रम में अनुभव	लागू नहीं	न्यूनतम 07 दिन *यदि दस्तावेज मेल नहीं करते, तो समय बढ़ जाता है।	5	सत्यापन से पात्रता के बारे में सूचना तक लिया गया समय।
6.	विनियमों में संशोधन प्रस्तावित करना।	सी.सी.आई.एम. की सम्बन्धित समिति	1. राज्य सरकारों को विनियम प्रारूप/संशोधन अग्रेषित किए जाते हैं।	लागू नहीं	लागू नहीं	राज्य सरकारों से टिप्पणी प्राप्त करने हेतु	5 90	विनियम प्रारूप भेजने से भारत सरकार को संशोधन

			2.90 दिनों में राज्य सरकार से टिप्पणी प्राप्त होते हैं। 3.भारत सरकार को संशोधन अग्रेषित किए जाते हैं।			दिन		भेजने तक लिया गया समय।
7	भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका (सी.आर.आई.एम.) में पंजीकरण	Regn.ccim@gmail.com.	राज्य बोर्डों द्वारा पंजीकरण: 1.राज्य पंजिका की प्राप्ति 2.सम्बन्धित राज्य में अर्हता, निवास का सत्यापन, 3.राजपत्र में अधिसूचना	राज्य पंजिका की प्रतियां।	लागू नहीं	06 माह अन्य पूर्वापेक्षाओं के पूरा होने की शर्त पर	3	राज्य पंजिका की प्राप्ति से राजपत्र अधिसूचना तक लिया गया समय।
			भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में सीधा पंजीकरण : 1.निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होता है। 2.विश्वविद्यालयों द्वारा सत्यापन किया जाता है। 3.राजपत्र में अधिसूचना	निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध फार्म में दिए गए (डी.डी. के शुल्क सहित सभी दस्तावेज	रु.5000/- (डी.डी. के माध्यम से)	03 माह अन्य पूर्वापेक्षाओं के पूरा होने की शर्त पर	2	आवेदनों की प्राप्ति से राजपत्र अधिसूचना तक लिया गया समय।
8	जनसूचनाधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना 1.जनसूचनाधिकार आवेदनों का उत्तर दिया जा रहा है।	केन्द्रीय जनसूचनाधिकारी 1.सहायक निबन्धक (यूनानी)	जनसूचनाधिकार आवेदन प्राप्त होते हैं। उत्तर भेजा जाता है।	जनसूचनाधिकार आवेदन जनसूचनाधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार शुल्क	रु.10/- अथवा यदि लागू हो तो, बी.पी.एल. प्रमाणपत्र	जनसूचनाधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत यथा निर्धारित	5	उत्तर भेजने में लिया गया समय।

	2.जनसूचनाधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील का निस्तारण	प्रथम प्राधिकारी सहायक (सिद्ध)	अपीलीय अपील प्राप्त होती है। आदेश भेजा जाता है। निबन्धक	प्रथम अपील	शून्य	जनसूचनाधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत यथा निर्धारित	5	अपील के निस्तारण में लिया गया समय।
--	---	--------------------------------	---	------------	-------	--	---	------------------------------------

शिकायत का निवारण

सेवा मानकों का अनुपालन न करने के मामले में, सेवार्थी/पणधारी अपनी शिकायत के निवारण हेतु निम्नलिखित जनशिकायत अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं :-

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
61-65, संस्थानिक क्षेत्र,
जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 (दिल्ली)

शिकायतें निम्नलिखित लिंक पर ऑन लाईन भी लॉज्ड की जा सकती है :-

<http://pgportal.gov.in>

यौन उत्पीड़न समिति

सी.सी.आई.एम. में यौन उत्पीड़न के सम्बन्ध में शिकायतों के मामले में, द सैक्सुअल हैरसमन्ट ऑफ विमन एट वर्कप्लेस (प्रिवेन्शन, प्रोइबिशन एण्ड रिड्रेसल) एक्ट, 2013 के अनुसार इन्टर्नल कम्प्लेन्ट्स कमेटी (आई.सी.सी.) को शिकायत की जा सकती है।

आई.सी.सी. का विवरण निम्नवत् है :-

1. डॉ.शमशाद बानो, सहायक निबन्धक (यूनानी), सी.सी.आई.एम.- पीठासीन अधिकारी
2. डॉ. के नटराजन, सहायक निबन्धक (सिद्ध), सी.सी.आई.एम.
3. सुश्री अंकिता यादव, हिन्दी अनुवादक
4. एन.जी.ओ. प्रतिनिधि

पणधारियों की सूची

क्रम संख्या	पणधारी
1.	आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी/सोवा रिग्पा महाविद्यालय
2.	विश्वविद्यालय जहाँ आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी/सोवा रिग्पा महाविद्यालयों के संकाय हों।
3.	केन्द्र/राज्य सरकार
4.	भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासी
5.	भारतीय चिकित्सा पद्धति के राज्य मण्डल/परिषदें
6.	आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी/सोवा रिग्पा के छात्र
7.	भारतीय राष्ट्र के नागरिक

नागरिकों/पणधारियों से निर्देशक प्रत्याशाएं

नागरिकों/पणधारियों से निर्देशक प्रत्याशाएं
<ul style="list-style-type: none">आवेदन/प्रस्ताव उनके लिए निर्धारित किए गए संरूप (फार्मेट) में प्रस्तुत किए जाए।
<ul style="list-style-type: none">उचित माध्यम का पालन किया जाए। [उदाहरणस्वरूप : शिक्षकों की पात्रता हेतु, प्रपत्र महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किए जाए न कि शिक्षकों के द्वारा; अर्हता सम्मिलित करने हेतु/ 13 क प्रस्ताव, भारत सरकार के माध्यम से] ।
<ul style="list-style-type: none">समस्त सेवाओं हेतु, टाइमलाइन्स का पालन किया जाए।
<ul style="list-style-type: none">विलम्ब कम करने के लिए संदेहों पर सी.सी.आई.एम. के सम्प्रेषण हेतु तुरन्त उत्तर दिया जाए।
<ul style="list-style-type: none">दस्तावेजों की न्यूनतम संख्या, (उदाहरणस्वरूप, पाठ्यविवरण में सम्मिलित करने हेतु पुस्तकों की न्यूनतम प्रतियां), उपलब्ध कराई जाए।
<ul style="list-style-type: none">शिकायतें लेखा प्रमाणीकृत शपथपत्रों पर प्रस्तुत की जाएं।
<ul style="list-style-type: none">प्रमाणिक सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किसी वस्तुपरक सूचना को दबाना नहीं चाहिए।

चार्टर के पुनर्विलोकन का माह एवं वर्ष : जनवरी, 2017

निष्कर्ष

सरकारी विभागों हेतु परफार्मेंस मॉनीटरिंग एण्ड इवेल्यूएशन सिस्टम के भाग के रूप में, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अनुमोदित है, अपने प्रथम प्रयास में इस परिषद् ने नागरिकों/सेवार्थियों का चार्टर बनाया है। सेवाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में सेवा प्राप्तिकर्ताओं/पणधारियों सतत प्रतिपुष्टि/सुझाव देने का स्वागत किया जाता है, क्योंकि इससे हम सेवा परिदान प्रक्रम को समुन्नत करने में समर्थ हो पाएंगे तथा आपकी आवश्यकतानुसार अधिक अनुक्रियाशील हो पाएंगे ।

चार्टर पर प्रतिपुष्टि/सुझाव निम्नलिखित पते पर भेजे जा सकते हैं –

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
61-65, संस्थानिक क्षेत्र,
जनकपुरी, नई दिल्ली -110058 (दिल्ली)

सी.सी.आई.एम.के नागरिकों/सेवार्थियों के चार्टर के पुनर्विलोकन हेतु कार्यदल का गठन

1. डॉ. वी.अरुणाचलम, अध्यक्ष, भा.चि.के.प.
2. डॉ. शमशाद बानो, सहायक निबन्धक (यूनानी)
3. डॉ. ऋचा शर्मा, सहायक निबन्धक (आयुर्वेद)
4. डॉ. के. नटराजन, सहायक निबन्धक (सिद्ध)
5. एन.जी.ओ. प्रतिनिधि